न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः 19/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00029)

1. नानू खॉन पुत्र कासम खॉन उम्र 50 वर्ष, जाति मुसलमान निवासी ग्राम हेमतसर, पोस्ट ठेडी, पुलिस थाना रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) सीकर राजस्थान।

—— रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—

1. सुजात अली खान एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 02.11.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2019 से असंतुष्ट होकर आर्म्स अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी नानू खॉन जो कि जिला मजिस्ट्रेट कुचबिहार पश्चिमी बंगाल के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 1967/सीबीआर के धारक है एवं इस अनुज्ञा पत्र मे एक 12 बोर एस.बी.बी.एल गन नम्बर 69296 है, उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र कार्यालय जिला कलक्टर सीकर की पंजीका संख्या 383/मिस./सीकर में पंजीकृत है एवं इस अनुज्ञा पत्र का उक्त कार्यालय द्वारा दिनांक 16.10.2017 का नवीनीकरण किया गया है, अपीलार्थी ने दिनांक 17.10.2017 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण करने का निवेदन किया गया जिस आवेदन पर अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नवीनीकरण करने के बिन्दु पर पुलिस अधीक्षक सीकर से रिपोर्ट दिनांक 07.11.2017 को मंगवाई गई जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 108/2015 अन्तर्गत धारा 279, 337, 304—आई.पी.सी.में दर्ज होकर चार्जशीट नम्बर 73/2015 के द्वारा चालान न्यायालय में पेश किया जाना और प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन होने से शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण की सिफारिश नही की गई जिसके आधार पर अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रट सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, तथ्यों व वास्तविकता के विपरित होने के कारण व विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा कोई गंभीर अपराध नही किया गया है और ना ही अपीलार्थी के खिलाफ कोई गंभीर अपराध किसी भी थाने में दर्ज है। मात्र उक्त प्रकरण जो एक्सीडेन्ट का है, यह गंभीर अपराध की श्रेणी में नही आता है और प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न

P.T.O.

शपथ पत्र में गलती से 'नही' शब्द पर निशान लग गया जो सहवन से होने के कारण उक्त त्रुटि क्षमा किये जाने योग्य है क्योंकि अपीलार्थी एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जो समस्त कानूनी पेचिदगियों से वाकिफ नही है इसलिये उक्त गलती क्षमा करते हुऐ अपीलार्थी के उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जाना न्यायहित में आवश्यक था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर कोई गौर नही कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2019 पारित किया है जो विधि विधान के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2019 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी के एक 12 बोर एस.बी.बी.एल. गन नम्बर 69396 के उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण करने के आदश प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली के अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 108/15 अन्तर्गत धारा 279, 337, 304–ए आईपीसी में दर्ज होकर चार्जशीट नम्बर 73/2015 के द्वारा चालान न्यायालय में पेश किया किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन न्यायालय होने के कारण अति.पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा नही करने पर एवं अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाने के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2019 पारित किया गया है जबकि अपीलार्थी स्वयं को ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति बताते हुए शपथ पत्र में मुकदमें के सम्बन्ध में सहवन से ''नही'' शब्द गलत मार्क होना कथन किया है तथा उक्त मुकदमा अपराधिक नही होकर एक्सीडेन्ट का होना कथन किया है तथा अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकरण में अपने शस्त्र का अनुचित उपयोग प्रयोग किया जाना पत्रावली से जाहिर नही होता है किन्तु अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट सीकर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2019 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।